न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. /   निर्णय दिनांक :— 20/6/2019

सरकार बनाम बंशीलाल

20/6/19 पत्रावली वकील अप्रार्थी के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तलब की गयी, वकील अप्रार्थी उपस्थित है, तहसील से वादग्रस्त भूमि के संबंध में वर्तमान रिपोर्ट ली गयी जो तहसीलदार चाकसू ने पत्रांक आरएनटी/76 दिनांक 19.06.2019 द्वारा भिवजायी गयी जो संलग्न है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया एवं जवाब में अंकित किया कि कृषि भूमि की प्रकृति को ही बदला गया है मौके पर खेती ही हो रही है। तहसीलदार चाकसू ने भी वादग्रस्त भूमि में मौके पर काश्त होना अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र 177 का खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार चाकसू ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 374, 376, 377, 378, 742, 743, 744, 750 किता 8 रकबा 1.10 है0 ग्राम मुंडिया खुर्द की बाबत बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने पर रा0 काश्तकारी अधिनियम के तहत 177 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिस अप्राथीगण को तलब किया गया व वादग्रस्त भूमि बाबत वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसील से ली गयी तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादग्रस्त भूमि को कृषि कार्य में लिया जा रहा है एवं तहसीलदार की वर्तमान रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि मौके पर कृषि उपयोग हो रहा है मौके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

[illegible]

[illegible] नहीं हो रहा है। इस प्रकार [illegible] दिनांक 19.06.2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि उपयोग में आ रही है, [illegible] प्रकार से वादग्रस्त भूमि को तहसीलदार रिपोर्ट अनुसर अकृषि उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 177 के अन्तर्गत नही पाया जाता है। अतः प्रकरण 177 का प्रकरण नही बनने से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पकरण 177 का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 374, 376, 377, 378, 742, 743, 744, 750 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 744, 742/1, 743, 744/1, 744/2, 377, 750, 742, 378, 374, 376 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील चाकसू का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

D:\Office\CRT\SARKAR VS BANS...

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested